चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र

(1) सरकारी सेवक का नाम/ पदनाम एवं कार्यालय / विभाग का नाम :-

(2) रोगी का नाम एवं सरकारी सेवक से संबंध :-

(3) रोग / बीमारी का नाम :-

(4) चिकित्सा कराये गये सरकारी / सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त / अन्य अस्पताल का नाम:-

(5) चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति :-

(क) अंतर्वासी चिकित्सा :- दिनांक - .....से दिनांक -.....तक

(ख) बहिर्वासी चिकित्सा :- दिनांक-..... ..से दिनांक -.....तक

(6) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं, संस्थान /पद नाम:-

(7) सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा कराने की स्वीकृति (अनुमति) /घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है या नहीं :-

(8) चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि :-

चिकित्सारत संस्थान के
अधीक्षक/निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर

सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

सं0 सं0 14/विविध–9/2015
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

विषयः सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन/दिशा निर्देश ।

राज्य के सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/अनुमति में विभिन्न प्रकार की कठिनाईया आ रही है, जिससे सरकारी कर्मियों एवं उनके आश्रितों को ससमय चिकित्सा सुविधा प्राप्ति मे कठिनाईयों एवं अनावश्यक विलम्ब का सामना करना पड़ता है । कई परिस्थितियों में सरकारी कर्मियों द्वारा विभागीय जटिलताओं के कारण प्रतिपूर्ति का दावा छोड़ देना भी पड़ रहा है । सरकारी कर्मियों एवं विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिलताओं को दूर करने हेतु बार–बार अनुरोध पत्र प्राप्त हुए है ।

उक्त इन्हीं कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिलताओं को दूर करने हेतु संकल्पित है ।

2. इस निमित्त माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति का सुझाव/अनुशंसा एवं सम्यक विचारोपरान्त राज्य के कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है :–

3. (क) विधान मंडल के पूर्व एवं वर्त्तमान सदस्य / अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी एवं राज्य कर्मी को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी /सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल मे चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी । बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–14/विविध–38/2006–1079(14), दिनांक 07 अगस्त, 2007 के उपरान्त जो भी स्पष्टीकरण (Clarification) बिना सरकार की अनुमति से निर्गत है उन्हें एतद् द्वारा विलोपित किया जायेगा ।

(ख) राज्य से बाहर एवं अंदर गैर सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पतालों मे चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सी0जी0एच0एस0 दर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी ।

4. अन्तर्वासी चिकित्सा हेतु कमरा शुल्क निम्नवत होगा :–

(i) ग्रेड–पे – 8700/– एवं इसके उपर के कर्मियों को प्राइवेट रूम का खर्च देय होगा । यह सुविधा विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य को भी उपलब्ध रहेगी ।

(ii) ग्रेड पे – 6600/– से ग्रेड पे – 8700/– तक के कर्मियों को सेमी प्राईवेट रूम का खर्च देय होगा ।

(iii) ग्रेड पे – 6600/– के नीचे के कर्मियों को जेनरल वार्ड का खर्च देय होगा ।

(iv) आई०सी०यू० चिकित्सा के मामले में सभी कर्मियों को बेड चार्ज के व्यय की कुल राशि अनुमान्य होगी ।

(v) जहाँ बेड का कैटेगराइजेशन उपलब्ध नहीं हो तो सभी ग्रेड पे के कर्मियों हेतु सी०जी०एच०एस०, मार्गदर्शिका/दर के अनुरूप मान्य होगा ।

(vi) किसी भी परिस्थिति में डिलक्स/सेमी डिलक्स रूम का चार्ज देय नहीं होगा ।

5. राज्य के बाहर बिना पूर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये इलाज की घटनोत्तर स्वीकृति बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 के अन्तर्गत संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव प्रदान करेंगे ।

6. राज्यकर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पूर्व के प्रावधानों को संशोधित करते हुए निम्नवत होगी :–

(i)	50 हजार रू० तक –	संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ।
(ii)	50 हजार रू० से उपर 5 लाख रू० तक –	संबंधित मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के विभागीय सचिव/ प्रधान सचिव द्वारा ।
(iii)	5 लाख से उपर –	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा ।

(iv) विधान मंडल के पूर्व एवं वर्त्तमान सदस्य तथा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी को आउटडोर चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने की स्थिति में किया जा सकेगा ।

(v) 5 लाख रू० तक चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा तथा इससे उपर की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा दी जायेगी ।

7. (i) दंत चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) पर हुए सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति कंडिका–3 के अनुरूप होगी, परंतु कास्मेटिक चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी ।

(ii) पेसमेकर Implantation, नेत्र (लेंस इम्पलान्ट) तथा कॉकलीयर इम्पलान्ट संबंधी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति कंडिका–3 के अनुरूप की जायेगी ।

8. सरल प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र (प्रपत्र) एवं संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षकों को जिला/प्रमंडलवार चिकित्सा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अलग से मार्गदर्शिका प्रशासी विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।

9. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

10. यह संकल्प निर्गत होने वाली तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 946(14) पटना, दिनांक 14/8/15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली/आई. जी. आई. सी. पटना/जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\rajesh kumar\sankalp\Latest Medical Rules Cabinet note.doc

संoसंo–14/विविध–05/2021 1462 (14)
16.08.2021

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः–राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 में निहित प्रावधान के तहत् राज्य के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए रू0 5,00,000/– (पाँच लाख) की सीमा तक के व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की शक्ति विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को प्रदत्त है। रूपये 5,00,000/– (पाँच लाख) से ऊपर की राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में वित्त विभागीय सहमति के उपरांत प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान है।

2. उक्त प्रावधान लगभग पाँच वर्ष पूर्व का है, जिसमें वर्तमान की परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के त्वरित निष्पादन हेतु चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए पूर्व के प्रावधानों में निम्नरूपेण संशोधन किए जाते हैं :–

(i)	रू0 50 हजार तक	संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा।
(ii)	रू0 50,001 (रू0 पचास हजार एक) से रू0 10 लाख (रू0 दस लाख) तक	संबंधित मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।
(iii)	रू0 10 लाख (रू0 दस लाख) से ऊपर	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।

3. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 की कंडिका–6 को इस हद तक संशोधित माना जाएगा। संकल्प की शेष तथ्य पूर्ववत् रहेगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
16/8/21
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव

D/N/Santosh Pratoop

ज्ञापांक –14/विविध –05/2021 1462(14) /स्वा०, पटना, दिनांक– 16.08.2021

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई०गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/21

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –14/विविध -05/2021 1462 (14) /स्वा०, पटना, दिनांक– 16.08.2021

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सभी विभाग/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/प्राचार्य सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/आई०जी०आई०सी०, पटना/लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

16/8/21

सरकार के संयुक्त सचिव